उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-46/2022-23

सरकार

बनाम्

संतोष कुमार एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 14/10/22	सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।
	मामला ललमटिया थाना काण्ड संख्या-40/2022 दिनांक-23.05.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-3029/अप0शा0 दिनांक-05.08.2022 से धारा-414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0-BR10GA-2621, 2. ट्रक निबंधन सं0-BR39GA-6299, 3. ट्रक निबंधन सं0-BR10GC-0693 एवं 4. ट्रक निबंधन सं0-WB59B-7129 तथा उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।
	पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0-BR10GA-2621, 2. ट्रक निबंधन सं0-BR39GA-6299, 3. ट्रक निबंधन सं0-BR10GC-0693 एवं 4. ट्रक निबंधन सं0-WB59B-7129, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0-BR10GA-2621, 2. ट्रक निबंधन सं0-BR39GA-6299, 3. ट्रक निबंधन सं0-BR10GC-0693 एवं 4. ट्रक निबंधन सं0-WB59B-7129 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य

पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-2621 के मालिक संतोष कुमार, पिता–कन्हैया प्रसाद पोद्दार, सा0–पानी मिल रोड, मिर्शैदपुर, थाना–मिर्जानहाट, जिला–भागलपुर, बिहार, 2. ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299 के मालिक जयकिशोर चौधरी, पिता–तनिकलाल चौधरी, सा0–कुशलपुर बारी, थाना–बरारी, जिला–कटिहार, बिहार, 3. ट्रक निबंधन सं0–BR10GC-0693 के मालिक सर्वेश कुमार सिंह, पिता–रिपेश्वर प्रसाद सिंह, वर्तमान पता–सी0/ओ0 अनुज कुमार, थाना–धनौरा, जिला–भागलपुर, बिहार एवं 4. ट्रक निबंधन सं0–WB59B-7129 के मालिक मो0 अमीर हमजा, पिता–नेश मोहम्मद, सा0–सीतापहाड़ी मालपहाड़ी, थाना–पाकुड़, जिला–पाकुड़ के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-2621, 2. ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299, 3. ट्रक निबंधन सं0–BR10GC-0693 एवं 4. ट्रक निबंधन सं0–WB59B-7129 एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरूद्ध धारा–414 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी जयकिशोर चौधरी एवं संतोष कुमार की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी संतोष कुमार का कथन है कि विपक्षी के ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-2621 को थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है। उक्त वाहन व्यवसायिक वाहन है और थाना में लम्बी अवधि तक रोक के रखने से खराब हो सकती है। माननीय न्यायालयों ने भी कई अवसरों पर यह माना है कि व्यवसायिक वाहन को लम्बी अवधि तक रोक के नहीं रखा जाना चाहिए। उनका आगे कथन है कि विपक्षी जमानत बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी जयकिशोर चौधरी का कथन है कि विपक्षी के ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299 को संदेह के आधार पर जप्त किया गया है तथा झूठा फसाया गया है। विपक्षी पर आरोप है कि जप्ती के समय ट्रक के चालक के द्वारा वैध ई0–चालान प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। लेकिन सत्य

यह है कि विपक्षी निर्दोष है और न कोई अपराध किया है। विपक्षी और चालक को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के ए0बी0ए0 नं0--5301/2022 के द्वारा जमानत से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेशानुसार 50000.00 (पचास हजार) रू0 जमानत की राशि जमा किया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि स्टोन चिप्स परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध स्टोन चिप्स प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। ललमटिया थाना काण्ड संख्या–40/2022 दिनांक– 23.05.2022, भा0द0वि0 की धारा–414 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर ललमटिया थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तो के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण का जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-2621, 2. ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299 के द्वारा अवैध रूप से स्टोन चिप्स का उठाव कर परिवहन कर रहा था। विपक्षीगण के द्वारा वाहन पर लदे स्टोन चिप्स के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से स्टोन चिप्स चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि जप्त वाहन पूर्व में भी अवैध खनिज के परिवहन में संलिप्त पाया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
BR10GA-2621	0	700	23940.00	47880.00	00	47880.00
BR39GA-6299	1	800	27360.00	54720.00	50000.00	104720.00

एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0–BR10GA-2621 एवं 2. ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो–दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-46/2022-23

सरकार

बनाम्

संतोष कुमार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 16/11/22

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

मामला ललमटिया थाना काण्ड संख्या–40/2022 दिनांक–23.05.2022 से संबंधित है।

विपक्षी जयकिशोर चौधरी ने जप्त ट्रक निबंधन सं0–BR39GA-6299 को विमुक्त करने के लिए जुर्माना की राशि 104720.00 (एक लाख चार हजार सात सौ बीस) रू0 का रसीद की प्रति, दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र के रूप में वाहन–Tata LPT 4925 Diesel, Reg. No.BR11GD-4611 से संबंधित कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है।

अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमे लदे स्टोन चिप्स को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा। 16/11/22

उपायुक्त, गोड्डा। 16/11/22

डी0 प्रो0 190 18.11.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.26 11:33:04 +05:30
Location: 172.28.32.1